2012:CGHC:10141

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपती एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 1895/1996

हरिश्चन्द्र

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

विचारार्थ हेतु

सही

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

राजीव गुप्ता न्यायाधीश

मैं सहमत हुं।

सही

मुख्य न्यायाधिपती

निर्णय हेतु:22/08/2012

सही

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपती एवं**

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 1895/1996

अपीलार्थी: हरिश्चन्द्र, आयु लगभग 28 वर्ष, पिता केशव प्रसाद गुप्ता (हलवाई), निवासी मछली शहर, जिला जौनपुर (उ.प्र.)

हाल मुकाम – नयापारा, बलौदा बाजार, जिला रायपुर, म.प्र. (अब छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता)

उपस्थिति : श्री दशरथ गुप्ता, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री अरविन्द दुबे, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

निर्णय

(22.08.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश** द्वारा दिया गया–

(1) यह अपील सत्र विचारण क्रमांक 177/93 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 1996 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा उसे आजीवन कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है, तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 3 वर्ष का कठोर कारावास का आदेश दिया गया है।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैंः–

मृतक- अजय गुप्ता दिनांक 8.8.1992 को रात्रि 9.00 बजे से लापता था। उसका शव दिनांक 10.8.1992 को प्रातः 10.00 बजे खोर्सी नाला में डूबी हुई अवस्था में पाया गया। कोटवार बलिदास अ. सा.-2) ने पुलिस को सूचना दी। शव की पहचान नहीं हो सकी, अतः शव का पंचनामा (प्रदर्श पी/5) तैयार किया गया, जिसमें उसे अज्ञात व्यक्ति का शव दर्शाया गया। शव को शासकीय चिकित्सालय, बलौदा बाजार शव परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया, जिसके लिए आवेदन पत्र प्रदर्श पी/6 था। शव परीक्षण डॉ. गणेशराम अग्रवाल (अ. सा.-4) द्वारा किया गया। शव अत्यधिक सड़ी-गली अवस्था में था। डॉ. अग्रवाल (अ. सा.4) ने दाहिनी टेम्पोरल अस्थि में अस्थि भंग पाया, किंतु मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण डूबने से उत्पन्न श्वासावरोध है। वह यह निश्चित नहीं कर सके कि मृत्यु मानववध,आत्महत्या अथवा दुर्घटना जनित थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/7 है। दिनांक 16.8.1992 को क्रेरी (प्रदर्श पी/8) भेजा गया तथा क्रेरी में भी उन्होंने यह बलपूर्वक कहा कि खोपड़ी के अस्थि भंग तथा मृत्यु की प्रकृति के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। चूँकि कोई भी व्यक्ति शव को लेने हेतु नहीं आया, अतः पुलिस द्वारा उसको दफना दिया गया। दुर्गा प्रसाद (अ. सा.-8, जो मृतक के पिता हैं) किसी प्रकार पुलिस थाना पहुँचे। उन्होंने मृतक की साइकिल देखी और उसकी पहचान की। उन्होंने कपड़े भी देखे तथा यह व्यक्त किया कि प्राप्त शव उनके पुत्र का हो सकता है। इस सूचना पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के.पी. पांडे (अ.सा.-11) की उपस्थिति में दिनांक 13.8.1992 को शव को खोद कर निकाला गया तथा उसकी पहचान मृतक अजय गुप्ता, पुत्र दुर्गा प्रसाद (अ.सा.-8) के रूप में की गई। तत्पश्चात डॉ. डी.सी. जैन, विभागाध्यक्ष, फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी, मेडिकल कॉलेज, रायपुर से राय (प्रदर्श पी/20) दिनांक 30.8.1992 को प्राप्त की गई, जिन्होंने यह राय व्यक्त किया कि यह मानववध मृत्यु थी। उनके इस राय के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट(प्रदर्श पी/15) दिनांक 27.9.1992 को पंजीबद्ध की गई तथा विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान संजू @संजय (अ.सा.-7), दुर्गा प्रसाद (अ।सा.-8) एवं राजेश कुमार (अ.सा-9) के कथन दिनांक 10.1.1993 को दर्ज किए गए। उन्होंने कथन किया कि उन्होंने मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा था। सुशीला गुप्ता (अ.सा.-5) तथा मीरा गुप्ता (अ.सा.-13) के कथन भी दिनांक 10.1.1993 को दर्ज किए गए, जिन्होंने यह कहा कि अपीलार्थी को मृतक एवं उसकी पत्नी के मध्य अवैध संबंध होने का संदेह था। इन परिस्थितियों के आधार पर पुलिस द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। निम्नलिखित वे परिस्थितियाँ हैं, जिन पर माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया तथा उपर्युक्तानुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया–

(i) मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ संजू@ संजय (अ.सा.-7), दुर्गा प्रसाद (अ.सा.-8) एवं राजेश कुमार (अ.सा.-9) द्वारा देखा गया था;

(ii) मृतक एवं अपीलार्थी की पत्नी के मध्य अवैध संबंध होने के संदेह के कारण अपीलार्थी के पास मृतक की हत्या करने का हेतुक था;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) मृतक की मृत्यु मानववध थी; एवं

(iv) अपीलार्थी घटना की तिथि से फरार था।

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दशरथ गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त परिस्थितियाँ अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्णतः स्थापित नहीं की गई हैं; ये परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति की नहीं हैं; इन परिस्थितियों की व्याख्या संभव है; परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला भी पूर्ण नहीं है; हेतुक सिद्ध नहीं किया गया है; तथा यह भी सिद्ध नहीं किया गया है कि मृत्यु मानववध थी।

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अरविन्द दुबे ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी परिशीलन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति :

(6) **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2 एस.सी.सी.22** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि "परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में, जिन परिस्थितियों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, उनका न केवल पूर्णतः स्थापित होना आवश्यक है, बल्कि वे परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति की हों तथा केवल अभियुक्त के दोषसिद्ध होने की परिकल्पना से ही संगत हों। ऐसी परिस्थितियाँ अभियुक्त के दोष के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना से समझाई जाने योग्य नहीं होनी चाहिए तथा साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निरपराधिता के अनुरूप किसी भी युक्तिसंगत आधार की गुंजाइश न रहे। यह स्मरण रखना आवश्यक नहीं कि विधि द्वारा स्थापित परिस्थितियाँ ही दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं, न कि मात्र न्यायालय की आशंका। अपराध जितना अधिक गंभीर होगा, साक्ष्यों की सूक्ष्मता से जांच उतनी ही अधिक आवश्यक होगी, जिससे संदेह प्रमाण का स्थान न ले सके।

(7) **बोध राज उर्फ बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू कश्मीर राज्य ए.आई.आर. 2002 सु.को. 3164** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी की जा सकती है किंतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि किए जाने से पूर्व जिन शर्तों का पालन आवश्यक है, उनका पूर्णतः स्थापित होना अनिवार्य है। वे इस प्रकार हैं–

1. जिन परिस्थितियों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, उनका पूर्णतः स्थापित होना आवश्यक है। संबंधित परिस्थितियाँ "होनी ही चाहिए" और मात्र "हो सकती हैं" के स्तर की न हों;

2. इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषसिद्ध होने की परिकल्पना से ही संगत हों, अर्थात् वे अभियुक्त के दोषसिद्धि के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना से व्याख्यायित न किए जा सकें;

3. परिस्थितियाँ निश्चयात्मक प्रकृति की एवं प्रवृत्ति में सुनिश्चित हों;

4. वे सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त प्रत्येक अन्य संभावित परिकल्पना को हटाती हों; तथा

5. साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निरपराधिता के अनुरूप किसी भी युक्तिसंगत निष्कर्ष के लिए कोई आधार शेष न रहे और यह प्रदर्शित करे कि पूर्ण सामान्य मानवीय संभाव्यता के अनुसार वह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

अंतिम बार साथ देखे जाने के संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि 'अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत' तभी लागू होती है, जब अभियुक्त एवं मृतक को अंतिम बार जीवित देखे जाने के समय तथा मृतक के मृत पाए जाने के समय के बीच का अंतराल इतना कम हो कि अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के अपराधकर्ता होने की संभावना समाप्त हो जाए। कुछ मामलों में, जब दोनों घटनाओं के बीच लंबा समयांतराल हो तथा इस दौरान अन्य व्यक्तियों के बीच में आने की संभावना मौजूद हो, तब यह निश्चित रूप से स्थापित करना कठिन होता है कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ ही देखा गया था। ऐसे मामलों में, अभियुक्त एवं मृतक को अंतिम बार साथ देखे जाने का निष्कर्ष निकालने हेतु यदि कोई अन्य ठोस साक्ष्य उपलब्ध न हो, तो मात्र इस आधार पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकालना जोखिमपूर्ण होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) संजू @ संजय (अ.सा.-7) ने कथन किया कि दिनांक 8.8.1992 को लगभग रात्रि 9.00 बजे वह राजेश कुमार (अ.सा-9) के साथ ग्राम पनगांव से लौट रहा था। उन्होंने देखा कि अपीलार्थी एवं मृतक एक ही साइकिल पर साथ-साथ आ रहे थे। मृतक साइकिल चला रहा था तथा अपीलार्थी उसके पीछे बैठा हुआ था। प्रति परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि वह अपीलार्थी को नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं जानता था। वह केवल मृतक की पहचान कर सका। जब उसने राजेश कुमार (अ.सा-9) से पूछा, तब उसे बताया गया कि अपीलार्थी मृतक का जीजा है। बल्कि उसे राखी के समय यह जानकारी हुई कि साइकिल के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति अपीलार्थी था।

(9) राजेश कुमार (अ.सा.-9) ने कथन किया कि घटना की तिथि को लगभग रात्रि 8.00 बजे वह ग्राम पनगांव से लौट रहा था। संजय (अ.सा-7) भी उसके साथ था। उसने देखा कि मृतक अजय गुप्ता साइकिल पर आ

रहा था तथा उसके पीछे एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था। वे लोग उन्हें खोर्सी नाला के पास मिले, जो बलौदा बाजार के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। अजय (मृतक) पनगांव की ओर जा रहा था। उसने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह साइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका, तथापि धुंधली रोशनी में वह व्यक्ति मृतक अजय के जीजा हरिश्चन्द्र जैसा प्रतीत हो रहा था। प्रति परीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह यह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि मृतक की साइकिल के पीछे कौन बैठा हुआ था।

(10) दुर्गा प्रसाद (अ.सा.-8) मृतक के पिता हैं। उनकी एक दुकान थी। उन्होंने कथन किया कि घटना वाली रात्रि को अपीलार्थी उनकी दुकान पर बैठा हुआ था। वे आपस में रिश्तेदार थे। दुर्गा प्रसाद (अ.सा.-8) ने अपीलार्थी से पूछा कि मृतक (अजय) कहाँ है, जिस पर अपीलार्थी ने उत्तर दिया कि वह नाई की दुकान पर गया है। तत्पश्चात मृतक आया और अपीलार्थी तथा मृतक उनकी दुकान से चले गए तथा उसके बाद मृतक वापस नहीं लौटा। प्रति परीक्षण की कंडिका 4 में, उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने अपीलार्थी एवं मृतक को लगभग सायं 7.00 से 7.30 बजे के बीच देखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) उपर्युक्त 'अंतिम बार साथ देखे जाने' से संबंधित गवाहों के साक्ष्य के मूल्यांकन पर हम यह पाते हैं कि दुर्गा प्रसाद (अ.सा.8) का साक्ष्य विशेष महत्व का नहीं है, क्योंकि इस गवाह द्वारा अपीलार्थी के साथ मृतक को देखने के पश्चात, उसी रात मृतक को संजू @ संजय (अ.सा.-7) तथा राजेश कुमार (अ.सा.-9) द्वारा भी देखा गया था। अतः वास्तव में संजू एवं राजेश ही 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के साक्षी हैं। संजू (अ.सा.-7) एवं राजेश कुमार (अ.सा.-9) के साक्ष्य के मूल्यांकन पर यह पाया जाता है कि यद्यपि वे मृतक को उसकी साइकिल पर पहचान सके, किन्तु वे यह पहचान नहीं कर सके कि मृतक के साथ कौन व्यक्ति था। अतः यह संदेह से परे सिद्ध नहीं हो सका कि मृतक के साथ उसकी साइकिल पर बैठा हुआ व्यक्ति अपीलार्थी ही था। इस प्रकार, 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति संदेह से परे सिद्ध नहीं की जा सकी।

(12) हम यह उल्लेख करते हैं कि मृतक दिनांक 8.8.1992 को रात्रि 9.00 बजे से लापता था तथा उसका शव दिनांक 10.8.1992 को प्रातः 10.00 बजे प्राप्त हुआ। अतः उस समय के मध्य, जब कथित रूप से अपीलार्थी एवं मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया था और जब मृतक का शव प्राप्त हुआ के बीच एक लंबा समयांतराल था। इस प्रकार की स्थिति में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में यह सुनिश्चित रूप से कहना कठिन है कि मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ ही देखा गया था, क्यों कि इस अवधि के बीच अन्य व्यक्तियों के आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हमारा मत है कि अपीलार्थी एवं मृतक को अंतिम बार साथ देखे जाने का निष्कर्ष निकालने हेतु यदि कोई अन्य ठोस साक्ष्य उपलब्ध न हो, तो केवल अंतिम बार साथ देखे जाने' की इस परिस्थिति के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराना जोखिमपूर्ण होगा।

(13) हम यह भी उल्लेख करते हैं कि संजू @ संजय (अ.सा.-7), दुर्गा प्रसाद (अ.सा.-8) एवं राजेश कुमार (अ.सा.-9) के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन दिनांक 10.1.1993 एवं 19.1.1993 को अभिलेखित किए गए, जबकि मृतक का शव दिनांक 10.8.1992 को प्राप्त हुआ था। इस अवधि के मध्य वे बार-बार पुलिस से मिलते रहे। उन्होंने शीघ्र सूचना क्यों नहीं दी, इसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के संबंध में उनके साक्ष्य पर भी संदेह उत्पन्न होता है।

<u>अपराध का हेतुक</u> :

(14) अभियोजन के अनुसार, अपीलार्थी को मृतक एवं उसकी पत्नी के मध्य अवैध संबंध होने का संदेह था तथा यही अपराध कारित करने का हेतुक था। इस संबंध में दो गवाह, अर्थात्–सुशीला गुप्ता (अ.सा-5) तथा मीरा गुप्ता (अ.सा-13) का परिक्षण करया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) सुशीला गुप्ता (अ.सा.-5), दुर्गा प्रसाद (अ.सा.-8) की बहन है। इस प्रकार वह मृतक की बुआ (बुआ) है। हरिश्चंद्र (अपीलार्थी) रेनू का पति था। रेनू, काशी प्रसाद की पुत्री थी, जो दुर्गा प्रसाद (अ.सा.-8) का चचेरा भाई था। सुशीला गुप्ता (अ.सा.-5) ने कंडिका-2 में कथन किया कि नागपंचमी के दिन अपीलार्थी उसके घर आया और बताया कि वह तनाव में है। उसने यह भी बताया कि उसकी पत्नी रेनू तथा मृतक के मध्य अवैध संबंध हैं। उक्त दिन के 3-4 दिन पश्चात् मृतक लापता हो गया।

(16) मीरा गुप्ता (अ.सा.-13) ने कथन किया कि नागपंचमी के दिन अपीलार्थी उसके घर आया और कहा कि उसके पास एक चौंकाने वाली खबर है, जिसे वह किसी को नहीं बता सकता। यदि वह बताएगा तो कोई बड़ा उपद्रव हो सकता है। उस समय सुशीला (अ.सा.-5) भी उसके साथ उपस्थित थी। मीरा गुप्ता (अ.सा.-13) ने स्पष्ट शब्दों में बयान दिया कि अपीलार्थी ने मृतक और उसकी पत्नी के मध्य संबंधों के संबंध में कुछ भी प्रकट नहीं किया था। मीरा गुप्ता (अ.सा.-13) को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा लोक अभियोजक द्वारा उसका प्रति परीक्षण किया गया, किन्तु उसके प्रति परीक्षण में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य उद्घटित नहीं हो सका। हम यह उल्लेख करते हैं कि इन गवाहों के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन दिनांक 10.01.1993 को अभिलेखित किए गए, जो कि घटना दिनांक 10.08.1992 से काफी दिनों के बाद हुई थी। उन्होंने पूर्व अवसरों पर यह सब तथ्य क्यों नहीं बताए, यह स्पष्ट नहीं है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कथन नहीं किया कि उपर्युक्त घटना के प्रकटीकरण के देरी के संबंध में। मीरा गुप्ता (अ. सा.-13) के अनुसार, अपीलार्थी ने यह समस्त तथ्य सुशीला गुप्ता (अ.सा.-5) की उपस्थिति में बताए थे। सुशीला गुप्ता (अ.सा.-5)

तथा मीरा गुप्ता (अ.सा.-13) के साक्ष्यों के मूल्यांकन पर हम यह पाते हैं कि इस प्रकार के विलंबित प्रकटीकरण के कारण उनके कथनों पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। हेतुक की सुसंगतता का महत्व मुख्यतः तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हेतुक को भी किसी अन्य परिस्थिति की भांति सिद्ध किया जाना आवश्यक है तथा तत्पश्चात् उसकी पर्याप्तता का परीक्षण तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में किया जाना होता है। वर्तमान प्रकरण में हेतुक से संबंधित साक्ष्य स्वयं संदेहास्पद है। अतः हम यह निर्णय करते हैं कि अभियोजन द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त हेतुक अपीलार्थी के विरुद्ध सिद्ध नहीं किया गया है।

<u>मानववध की परिस्थिति</u> :

(17) मृतक का शव खोरसी नाला में डूबी हुई अवस्था में पाया गया। इसे ग्राम कोटवार द्वारा देखा गया। शव को बाहर निकाला गया तथा शव परीक्षण हेतु भेजा गया। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने खोपड़ी की हड्डी में अस्थि भंग पाया, किंतु यह राय व्यक्त नहीं किया कि मानववध थी। उनके अनुसार मृत्यु का कारण डूबने से उत्पन्न श्वासावरोध था। प्रति परीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऊँचाई से जल में गिरता है तो उपर्युक्त प्रकार की चोटें आ सकती हैं। मृत्यु के कारण तथा अस्थि भंग के कारण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा प्रश्न किया गया था, किंतु उस प्रश्न में कोई निश्चित राय नहीं दी गई । अतः शव परीक्षण चिकित्सक द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया कि मृत्यु मानववध थी,आत्महत्या अथवा दुर्घटना। जब हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया, तब विशेषज्ञ राय रायपुर मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभागाध्यक्ष से प्राप्त किया गया। उक्त पद पर आसीन डॉ. डी.सी. जैन ने अपना मत (प्रदर्श पी/20) दिया कि यह ऐसा मामला हो सकता है जिसमें मृतक के सिर पर पहले प्रहार किया गया और जब वह अचेत हो गया, तब उसे नाला में फेंक दिया गया। अतः मृत्यु मानववध थी। हम यह नोट करते हैं कि उक्त विशेषज्ञ डॉ. डी.सी. जैन का अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया। उनकी उपर्युक्त राय , रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. पी.के. मुखर्जी (अ.सा.-16) के साक्ष्य के माध्यम से प्रदर्शित की गयी । उन्होंने केवल उक्त रिपोर्ट पर डॉ. जैन के हस्ताक्षर सिद्ध किए। प्रसंगवश, प्रति परीक्षण में उनसे उनका मत भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने उत्तर दिया कि वह यह नहीं बता सकते कि उपर्युक्त चोट गिरने से हुई अथवा आक्रमण से। वस्तुतः उन्होंने डॉ. जैन की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार किया। उपर्युक्त अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में यह निष्कर्ष कि मृत्यु मानववध थी, संदिग्ध प्रतीत होता है।

<u>फरार होने की परिस्थिति</u> :

(18) **<u>थिम्मा, अपीलार्थी बनाम मैसूर राज्य, उत्तरवादी, ए.आई.आर. 1971 सु.को. 1871</u>** में यह प्रतिपादित किया गया कि अपराध की घटना के तुरंत बाद अभियुक्त का फरार हो जाना उसके आपराधिक मनः स्थिति को किसी सीमा तक इंगित करने वाला सुसंगत साक्ष्य है, परंतु यह तथ्य निर्णायक नहीं है, क्योंकि संदेह किए जाने पर निर्दोष व्यक्ति भी गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसे आचरण की ओर प्रवृत्त हो सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(19) **एस.के यूसुफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ऐ.आई.आर. 2011 सु.को. 2283** में यह प्रतिपादित किया गया कि– "यह एक स्थापित विधिक सिद्धांत है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के घटित होने के पश्चात फरार हो जाता है, जिसका वह लेखक (कर्ता) भी न हो, तो मात्र ऐसी परिस्थिति उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसा करना निर्दोषता के सिद्धांत के विपरीत होगा। यह पूर्णतः संभव है कि वह व्यक्ति केवल संदेह के आधार पर, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी तथा उत्पीड़न के भय से भाग रहा हो।" (देखें: **मात्रू@ गिरीश चंद्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1971 सु.को. 1050; परमजीत सिंह @ पम्मा बनाम उत्तराखंड राज्य ए.आई.आर. 2011 सु.को. 200; तथा रविन्द्र कुमार पाल@ दारा सिंह बनाम भारतीय गण राज्य (2011) 2 एस.सी.सी.490**).

(20) वर्तमान प्रकरण में तथ्य भिन्न हैं। प्रकरण में अपीलार्थी लगभग रात्रि 11.00 बजे घर वापस आया और घर में उपस्थित रहा तथा बाद में वह कुछ समय के लिए किसी अन्य स्थान पर चला गया। अतः यह घटना के तुरंत पश्चात फरार होने का मामला नहीं है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में यह एकमात्र परिस्थिति अपीलार्थी को हत्या जैसे अपराध का दोषी ठहराने हेतु पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(21) उपर्युक्त कारणों से, हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य के उक्त समुच्चय के आधार पर अपीलार्थी के दोषसिद्धि आदेश को बनाए रखने में असमर्थ हैं। परिस्थितियाँ पूर्णतः स्थापित नहीं की जा सकीं, वे निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की नहीं थीं तथा उनका स्पष्टीकरण संभव था और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की शृंखला भी पूर्ण नहीं थी।

(22) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रदान की गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह अभिलिखित किया जाता है कि अपीलार्थी वर्तमान में जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभु उन्मोचित किए जाते है।

हस्ताक्षरित
मुख्य न्यायाधिपती

हस्ताक्षरित
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Adv. Astha Sharma

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur